न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 189/2019

--:: निर्णय ::--

दिनांकः– 14.1.2020

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांकः भू.अ. डीआईएलआरएमपी/2019/3577 दिनांक 26.11.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा. अधिनियम, 1956 का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तामिली रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार लूणी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम धुन्धाडा के खसरा संख्या–635, 642, 644, 645 कुल रकबा 46.18 बीघा में अप्रार्थीगण वरजू देवी पत्नी अणदाराम वगैरा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 एवं अप्रार्थी संख्या 05 विरदाराम पुत्र शोभाराम का वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071–2074 में 1/6 – 1/6 हिस्सा दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त में भी अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/6 – 1/6 दर्ज है। मौके पर खसरा संख्या 635, 642, 644, 645 में अप्रार्थीगणों का 1/16 हिस्से पर कब्जा–काश्त है। डीआईएलआरएमपी के तहत् रिकॉर्ड का सेग्रीगेशन करने में उक्त खसरे का अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/6 – 1/6 दर्ज होने से हिस्सा एक नहीं हो रहा है। वर्तमान जमाबदी में अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/6 – 1/6 के स्थान पर 1/12 – 1/12 दर्ज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी सरकार जरियें तहसीलदार लूणी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनांक 26. 11.2019 एवं हल्का पटवारी धुन्धाडा की मौका फर्द दिनांक 20.08.2019 के अनुसार अप्रार्थीगण का 1/12 – 1/12 हिस्से पर कब्जा काश्त करने की सहखातेदारों द्वारा सहमति प्रकट की है। ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड दुरस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम धुन्धाडा के खसरा संख्या 635, 642, 644, 645 रकबा 46.18 बीघा में डीआईएलआरएमपी के तहत् सेग्रीगेशन करने हेतु अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/6 – 1/6 के स्थान 1/12 – 1/12 हिस्सा दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner